

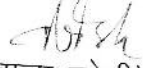
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/

दिनांक:- 03 फरवरी 2014

कार्यालय आदेश

श्री बजरंग लाल यादव कनिष्ठ लेखाकार (मेरिट नम्बर 374/94 लिंक नं. 3936) कार्यालय जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच-प्रथम, जयपुर को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर में लेखाकार के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य अग्रिम आदेशों/पदस्थापन होने तक सम्पादित करने के लिए अधिकृत एवं निर्देशित किया जाता है।
इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्यभार देय होगा।

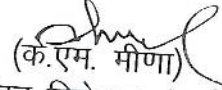

(वीरबाला जोशी)
निदेशक,
कोष एवं लेखा विभाग,

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/ 18699-704

दिनांक:- 03 फरवरी 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. रजिस्ट्रार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान जयपुर को
2. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच-प्रथम जयपुर
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय सचिवालय जयपुर
4. श्री बजरंग लाल यादव कनिष्ठ लेखाकार (मेरिट नम्बर 374/94 लिंक नं. 3936) कार्यालय जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच-प्रथम, जयपुर
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदय।
7. व्यक्तिगत पंजिका।
8. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।


(क.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)
कोष एवं लेखा विभाग